

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2016—आषाढ 24, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई, 2016

क्र. एफ-02-(बी)07-2016-तीन-जेल.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिकवर्गीय तथा लिपिकवर्गीय) जेल सेवा भर्ती नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उपनियम (2) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ख) सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चयन समितियों द्वारा साक्षात्कार कर किया जाएगा:

परन्तु अनुसूची-तीन, भाग-ख (तृतीय श्रेणी—लिपिकवर्गीय) में उल्लेखित पदों के लिए साक्षात्कार का प्रावधान नहीं होगा.”

F. No. F-02-(B)07-2016-Three/Jail.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Jail Service Recruitment Rules, 1974, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 11, in sub-rule (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) The selection of the candidates for service shall be made by the following selection committees after interviews:

Provided that there shall be no provision of interview for the posts mentioned in Schedule-III, Part-B (Class III-Ministerial).”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

विमानन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्र. एफ-1-12-94-पैतालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विमानन (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1990 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 6 में, उपनियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार द्वारा चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा परन्तु गैर कार्यपालक/गैर तकनीकी पदों की सीधी भर्ती के लिये चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा.”.

2. नियम 12 में, उपनियम, (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन बोर्ड द्वारा उनका साक्षात्कार करने के पश्चात् किया जाएगा:

परन्तु गैर कार्यपालक/गैर तकनीकी पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन, बोर्ड द्वारा किया जाएगा.”.

F. No.1-12-94-XLV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Aviation (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 1999, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,

1. In rule 6, sub-rule (1) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) by direct recruitment through selection either by competitive examination or interviews;

Provided that for direct recruitment of the non-executive/non-technical posts, selection shall be made by direct recruitment through a competitive exam.”.

2. In rule (12), for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) The Selection of candidates for the service shall be made by the Board after interviewing them;

Provided that for non-executive/non-technical posts, the selection of candidates for the service shall be made by the Board.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद दुबे, उपसचिव.

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016

सूचना

क्र. एफ-2-2-2013-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 162 के अधीन भूमि के व्ययन की रीति तथा प्रीमियम और पट्टा भाटक की रकम के भुगतान से संबंधित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (सैंतीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर, उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो कि उक्त प्रारूप नियमों के संबन्ध में किसी भी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप नियम

मध्यप्रदेश अधिसूचित क्षेत्रों में कृषिक तथा अकृषिक प्रयोजन के लिए भूमि का व्ययन नियम, 2016

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अधिसूचित क्षेत्रों में कृषिक तथा अकृषिक प्रयोजन के लिए भूमि का व्ययन नियम, 2016 है.

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'कृषिक प्रयोजन' से अभिप्रेत है, ऐसा प्रयोजन जिसके लिए संहिता की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित, कृषि के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है और अभिव्यक्ति 'अकृषिक प्रयोजन' का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) 'पूर्त प्रयोजन' का वही अर्थ होगा जो संहिता की धारा 59 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (पैंतालीस-क) के अधीन बनाए गए नियमों के स्पष्टीकरण (2) में उसके लिए दिया गया है;

- (ग) 'क्लस्टर' से अभिप्रेत है, भूमियों का समूह जो सटा हुआ है और यदि सटा हुआ नहीं है तो अत्यंत सन्निकट है;
- (घ) 'संहिता' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) ;
- (ङ) 'परिवार' से अभिप्रेत है, पति, पत्नी और उनकी अवयस्क संतान, यदि कोई हो ;
- (च) 'अधिसूचित क्षेत्र' से अभिप्रेत है, वह क्षेत्र जो संहिता की धारा 162 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो ;
- (छ) 'अधिभोगी' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसका अधिसूचित क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा हो;
- (ज) 'अनधिकृत स्थापित कब्जा' से अभिप्रेत है, दिनांक 1 जनवरी, 2000 से कोई ऐसा कब्जा जिसे विधिक बल प्राप्त नहीं है, किन्तु जो किसी दस्तावेजी साक्ष्य जैसे कि नक्शे के अनुमोदन, बिजली के बिल या ऐसे कब्जे के संबंध में किसी राजस्व अधिकारी के आदेश के अनुक्रम में अधिरोपित जुर्माने की रसीद आदि से सिद्ध किया जा सकता हो।
- (1) कोई क्षेत्र जो भू-अभिलेख में दखल रहित भूमि/सरकारी भूमि के रूप में अभिलिखित है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी उपबंध के अधीन सरकार में निहित किसी अन्य भूमि को, जो—
- (क) मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक 20 सन् 1960) के उपबंधों के अंतर्गत वेष्टित हुई हो ;
- (ख) माफी औकाफ या किसी धार्मिक संस्था से सम्बन्धित हो;
- (ग) नदी या नाला या जल संग्रहण क्षेत्र के रूप में अभिलिखित हो;
- (घ) संहिता की धारा 237 के अधीन नगरेत्तर क्षेत्रों में निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक् नहीं रखी गई हो;
- (ङ) नगरीय क्षेत्र में पार्को, खेल के मैदानों, सड़कों, गलियों या किसी अन्य सामुदायिक उपयोग की हो;
- छोड़कर जो 1 जनवरी, 2000 या उसके पूर्व से किसी अधिभोगी या उसके पूर्वजों या अंतरिती के अनधिकृत स्थापित कब्जे में हो,—
- (एक) कृषिक प्रयोजन के लिए या कृषिक और अकृषिक के मिले जुले प्रयोजन के लिए पचास हैक्टर से अन्यून कुल भूमि के

ऐसे क्षेत्र का कोई क्लस्टर; या

(दो) अकृषिक प्रयोजन के लिए, पांच हैक्टर से अन्यून कुल भूमि के ऐसे क्षेत्र का कोई क्लस्टर;

अधिसूचित किए जाने योग्य होगा।

(2) कलक्टर, ऐसे क्षेत्रों की पहचान करेगा और संभागायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(एक) खसरा नम्बर और उसके क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए ऐसे क्षेत्र के ब्यौरे;

(दो) नक्शा;

(तीन) वे कारण जिनसे कि संहिता की धारा 162 के अधीन विचारण के लिए मामला उपयुक्त है;

(चार) अधिभोगी के ब्यौरे, जिसमें उसका नाम, पिता/पति या पत्नी का नाम, स्थायी तथा अस्थायी पता, आयु, व्यवसाय आदि सम्मिलित हो;

(पांच) अधिभोगी के परिवार के सदस्यों के ब्यौरे;

(छह) अधिभोगी द्वारा स्वयं या उसके परिवार द्वारा धारित समस्त अन्य भूमियों के ब्यौरे;

(सात) कोई अन्य जानकारी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) संभागायुक्त, सम्यक् तत्परता बरतते हुए मामले के गुणागुण और अपने सकारण अभिमत सहित रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

4. नियम 3 के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार, ऐसे क्षेत्र को अधिसूचित कर सकेगी।

5. कलक्टर, नियम 7 के अधीन प्रीमियम प्रभारित करने तथा भू-राजस्व या पट्टा भाटक का निर्धारण करने के पश्चात् अधिभोगी को ऐसी भूमि या उसके किसी हिस्से को, यथास्थिति, कृषिक प्रयोजन के लिए भूमिस्वामी अधिकारों में या अकृषिक प्रयोजन के लिए तीस वर्ष के पट्टाधिकारों में आबंटित कर सकेगा:

परन्तु कृषिक प्रयोजन के लिए किसी अधिभोगी को दो हैक्टर से

अधिक भूमि का या अकृषिक प्रयोजन के लिए किसी अधिभोगी को दो सौ वर्ग मीटर से अनधिक माप के एक से अधिक भू-खण्ड का आबंटन नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि अकृषिक प्रयोजन के लिए दो सौ वर्ग मीटर से अधिक का क्षेत्र केवल उस मामले में आबंटित किया जा सकेगा जहां इकाई के भाग के रूप में पक्का निर्माण पाया जाता है जिसमें वे खुली भूमियां सम्मिलित हैं, जो ऐसे निर्माण का उपयोगी भाग हों। ऐसे मामलों में प्रीमियम और पट्टा भाटक नियम 7 के उप नियम (2) के अनुसार प्रभारित किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि किसी भी अधिभोगी को कोई भूमि आबंटित नहीं की जाएगी, यदि कलक्टर को यह प्रतीत होता है कि उसकी, उस क्षेत्र में भविष्य की विकास की गतिविधियों के लिए आवश्यकता है या वह ऐसी गतिविधि के लिए आरक्षित है या उस क्षेत्र की विकास योजना के अनुसार नहीं है या ऐसे आबंटन से लोक-न्यूसेंस होना संभाव्य है।

6. नियम 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि का आबंटन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जाएगा जो ऐसे आबंटन के परिणामस्वरूप उतनी भूमि का हकदार हो जाएगा जो स्वयं उसके द्वारा या उसके परिवार द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो, सहित कुल मिलाकर ऐसी उच्चतम सीमाओं से, जो कि मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (कमांक 20 सन् 1960) में विहित हो, अधिक हो जाए।
7. (1) कृषिक प्रयोजन के लिए प्रीमियम, प्रचलित बाजार मूल्य का दो प्रतिशत होगा और भू-राजस्व आसपास की भूमि को लागू उच्चतम दर के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

- (2) अकृषिक प्रयोजन के लिए प्रीमियम तथा पट्टा भाटक निम्नानुसार प्रभारित किया जाएगा:-

(एक) आवासीय, शैक्षणिक या पूर्त प्रयोजन के लिए:-

(क) एक सौ वर्गमीटर तक के क्षेत्र के लिए प्रीमियम मात्र एक रुपया और वार्षिक पट्टा भाटक एक सौ रुपए होगा; और

(ख) एक सौ वर्गमीटर से अधिक के क्षेत्र के लिए,

(एक) दो सौ वर्गमीटर तक के क्षेत्र के लिए प्रीमियम प्रचलित बाजार मूल्य का एक प्रतिशत होगा;

(दो) दो सौ वर्गमीटर से अधिक पांच सौ वर्गमीटर तक के क्षेत्र के लिए, प्रीमियम प्रचलित बाजार

मूल्य का दो प्रतिशत होगा ;

(तीन) पांच सौ वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र के लिए प्रीमियम प्रचलित बाजार मूल्य का तीन प्रतिशत होगा;

तथा वार्षिक पट्टा भाटक कुल संगणित प्रीमियम की राशि का पाँच प्रतिशत होगा :

परन्तु किसी भी मामले में यह एक सौ रूपए से कम नहीं होगा।

(दो) आवासीय, शैक्षणिक या पूर्त प्रयोजन से भिन्न अकृषिक प्रयोजन के लिए:-

(क) पचास वर्गमीटर तक के क्षेत्र के भू-खण्डों के लिए प्रीमियम एक हजार रूपए होगा और वार्षिक पट्टा भाटक एक हजार रूपए होगा; और

(ख) पचास वर्गमीटर से अधिक के क्षेत्र के भू-खण्डों के लिए,-

(एक) दो सौ वर्गमीटर तक के क्षेत्र के भू-खण्डों के लिए प्रीमियम प्रचलित बाजार मूल्य का तीन प्रतिशत होगा ;

(दो) दो सौ वर्गमीटर से अधिक पांच सौ वर्गमीटर तक के क्षेत्र के भू-खण्डों के लिए, प्रीमियम प्रचलित बाजार मूल्य का पांच प्रतिशत होगा.

(तीन) पांच सौ वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र के भू-खण्डों के लिए, प्रीमियम प्रचलित बाजार मूल्य का दस प्रतिशत होगा।

तथा वार्षिक पट्टा भाटक कुल संगणित प्रीमियम की राशि का साढ़े सात प्रतिशत होगा :

परन्तु किसी भी मामले में यह एक हजार रूपए से कम नहीं होगा।

दृष्टांत :

(1) (क) यदि आवंटित किए जाने वाला भू-खण्ड आवासीय या शैक्षणिक या पूर्त प्रयोजन के लिए है और उसका क्षेत्रफल एक सौ वर्गमीटर तक है, तो प्रीमियम मात्र एक रूपया होगा और वार्षिक पट्टा भाटक एक सौ रूपए होगा ;

(ख) यदि आबंटित किए जाने वाला भू-खण्ड आवासीय या शैक्षणिक या पूर्त प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए है और उसका क्षेत्रफल पचास वर्गमीटर तक है, तो प्रीमियम एक हजार रूपए होगा और वार्षिक पट्टा भाटक एक हजार रूपए होगा।

(2) यदि आबंटित किया जाने वाला भू-खण्ड आवासीय प्रयोजन के लिए है और उसका क्षेत्रफल छह सौ वर्गमीटर का है और ऐसे भू-खण्ड का प्रचलित बाजार मूल्य रूपए दस हजार प्रति वर्गमीटर है तो ऐसे भू-खण्ड का कुल मूल्य रूपए साठ लाख होगा। इस स्थिति में ऐसे भूखण्ड पर देय प्रीमियम की राशि निम्न रीति में प्रगणित की जाएगी, अर्थात् :-

(एक) प्रथम दो सौ वर्गमीटर के लिए प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर संगणित मूल्य का एक प्रतिशत अर्थात् रूपए बीस हजार ;

(दो) अगले तीन सौ वर्गमीटर तक के लिए, प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर संगणित मूल्य का दो प्रतिशत अर्थात् रूपए साठ हजार ; और

(तीन) शेष एक सौ वर्गमीटर के लिए प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर संगणित मूल्य का तीन प्रतिशत अर्थात् रूपए तीस हजार,

इस प्रकार कुल देय प्रीमियम रूपए एक लाख दस हजार होगा और वार्षिक पट्टा भाटक कुल संगणित प्रीमियम का पांच प्रतिशत अर्थात् रूपए पांच हजार पांच सौ होगा। इसी प्रकार अन्य मामलों में भी देय प्रीमियम तथा पट्टा भाटक, भूमि के प्रयोजन, क्षेत्रफल और प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार संगणित किए जाएंगे।

8. यदि कोई अधिभोगी नियम 7 में उल्लिखित शर्तों पर भूमि का आबंटन प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है तो वह कब्जे में की भूमि को रिक्त करेगा।

9. यदि अकृषिक प्रयोजन के लिए भूमि का पट्टाधारी उत्तरजीविता के सिवाय, अपनी भूमि आबंटन की तारीख से दस वर्ष के भीतर विक्रय या दान द्वारा या अन्यथा अंतरित करना चाहता है, तो वह अन्तरण शुल्क का भुगतान करने का दायी होगा, जो अन्तरण के समय ऐसी भूमि के बाजार मूल्य का दस प्रतिशत होगा। अन्तरण शुल्क शासकीय कोषालय में निक्षेपित किया जाएगा:

परन्तु किन्हीं पश्चात्वर्ती अंतरणों के लिए कोई अन्तरण शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।

10. धारा 182 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अकृषिक प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन स्वीकृत किया गया प्रत्येक पट्टा प्रत्येक तीस वर्ष के अंत में नवीकृत समझा जाएगा:

परन्तु संहिता के उपबंधों के अनुसार पट्टाभाटक पुनरीक्षित किया जाएगा।

11. प्रत्येक भूखण्ड, जिसका इन नियमों के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में किसी व्यक्ति को आबंटन नहीं किया गया है, भू-अभिलेख में 'शासकीय भूमि' के रूप में अभिलिखित किया जाएगा।
12. यदि अधिभोगी या उसके परिवार के सदस्य का इन नियमों के अधीन आबंटित किए जाने हेतु उसकी पात्रता से अधिक भूमि पर कब्जा है, तो उसके पक्ष में आबंटन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह अधिक भूमि को खाली नहीं कर देता।
13. इन नियमों के अधीन भूमि का आबंटन अधिभोगी और उसकी पत्नी/उसके पति के संयुक्त नाम से, यदि वह विवाहित है, किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. पी. श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. एफ-2-2-2013-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-2-2013-सात-शा-6, दिनांक 13 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. पी. श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 12th April 2015

No. F 2-2/2013/VII/S-6

The following draft of rules regarding the manner of disposal of land and amount of premium and lease rent to be paid under section 162 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (XXXVII) of sub-section (2) of section 258 of the said Code is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of rules by the Principal Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Mantralaya Vallabh Bhawan, Bhopal on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT RULES

The Madhya Pradesh Disposal of Land for Agricultural and Non-Agricultural Purpose in Notified Area Rules, 2016

1. These rules may be called the Madhya Pradesh Disposal of Land for Agricultural and Non-Agricultural Purpose in Notified Area Rules, 2016.
2. In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) 'agricultural Purpose' means the purpose for which the land used for agriculture as defined in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Code and the expression 'non-agricultural purpose' shall be construed accordingly;
 - (b) 'charitable purpose' shall have the same meaning as assigned to it in explanation (2) of the rules made under section 59 read with sub-section (1) and clause (xiv-a) of sub-section (2) of section 258 of the Code;

- (c) 'cluster' means group of lands which are contiguous and if not contiguous, then in close proximity;
- (d) 'Code' means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
- (e) 'family' means husband, wife and their minor children, if any;
- (f) 'notified Area' means the area which is notified by the State Government under section 162 of the Code;
- (g) 'occupier' means a person who is in unauthorized settled possession of Government land in a notified area;
- (h) 'unauthorized settled possession' means a possession since 1st day of January, 2000, having no legal force but which may be proved by any documentary evidence such as approval of map, electricity bill or receipt of fine alongwith the order of any revenue officer regarding imposition of such fine related to such possession etc.
3. (1) Any area which is recorded in land record as unoccupied land/government land or any land vested with the government under any provision of any law for the time being in force, except the land,-
- (a) vested under the Madhya Pradesh Ceiling on Agriculture Holdings Act, 1960 (20 of 1960);
- (b) belongs to any religious institution or Mafi Oqaf;
- (c) recorded as river or rivulet or water body;
- (d) which is not set apart for exercise of Nistar right under section 237 of the Code in non-urban area;
- (e) under the use of parks, playgrounds, roads, lanes or any other common used in urban area; and

is in unauthorized settled possession by any occupier or his ancestors or transferee since 1st day of January, 2000 or prior to that-

- (i) for agricultural purpose or combination of agricultural and non agricultural purpose, a cluster of such area of total land not less than fifty hectare; or
- (ii) for non-agricultural purpose, a cluster of such area of total land not less than five hectare;

may be eligible for notification.

- (2) The Collector shall identify such areas and shall submit a report to the State Government through the Divisional Commissioner, which shall include-

- (i) details of such area including Khasra number and its area;
- (ii) map;
- (iii) reasons for which the case is fit for consideration under section 162 of the Code;
- (iv) details of occupier including his name, father's/spouse's name, permanent and temporary address, age, profession, etc.;
- (v) details of family members of the occupier;
- (vi) details of all other land held by occupier himself or his family;
- (vii) any other information, which is deemed necessary.

- (3) The Commissioner, after due diligence, shall forward the report to the State Government with his comments, including reasons and merits of the Case.

4. After considering the report received under rule 3, the State Government, may notify such area.

5. The Collector after charging premium and assessing land revenue or lease rent under rule 7, may allot such land or portion thereof to the occupier

for agricultural purpose in Bhumiswami right or for non-agricultural purpose in thirty years lease right, as the case may be:

Provide that the allotment of land for agricultural purpose shall not be more than two hectares or for non-agricultural purpose shall not be more than one plot admeasuring not more than two hundred square meter to an occupier:

Provided further that an area in excess of two hundred square meter land for non-agricultural purpose may be allotted only in case where the Pucca construction is found, being a part of the unit including open lands which are functional part of such construction. The premium and lease rent in such cases shall be charged according to sub-rule (2) of rule 7:

Provided also that land may not be allotted to the occupier, if the Collector feels that it is required for future development activities of that area or is reserved for any such activity or not in accordance with the development plan of that area, if any, or such allotment may likely to cause a public nuisance.

6. Subject to the provisions of rule 5, allotment of land for agricultural purpose shall not be made in favour of any person who shall, as a result of such allotment, become entitled to land which together with the land, if any, held by himself or his family shall in the aggregate exceed such ceiling limits as prescribed in the Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1960 (No. 20 of 1960).
7. (1) Premium for agricultural purpose shall be two percentum of current market value and land revenue shall be assessed as per highest rate applicable to neighboring land.
- (2) Premium and lease rent for non-agricultural purpose shall be charged as follows:-
 - (i) for residential, educational or charitable purpose-
 - (a) for area up to one hundred square meter, the premium shall be rupee one only and annual lease rent shall be rupees one hundred; and
 - (b) for area in excess of one hundred square meter-

- (i) for area up to two hundred square meter, the premium shall be one percentum of current market value;
- (ii) for area in excess of two hundred square meter up to five hundred square meter, the premium shall be two percentum of current market value;
- (iii) for area in excess of five hundred square meter, the premium shall be three percentum of current market value;

and annual lease rent shall be five percentum of computed amount of premium:

Provided that it shall not be less than rupees one hundred in any case.

- (ii) for non-agricultural purpose other than residential, educational or charitable purpose,-
 - (a) for plots of area up to Fifty square meter, the premium shall be rupees one thousand and annual lease rent shall be rupees one thousand; and
 - (b) for plots of area in excess of fifty square meter,-
 - (i) for plots of area up to Two hundred square meter, the premium shall be three percentum of current market value;
 - (ii) for the area in excess of two hundred square meter up to five hundred square meter, the premium shall be five percentum of current market value;
 - (iii) for the area in excess of five hundred square meter, the premium shall be ten percentum of current market value;

and annual lease rent shall be seven and half percentum of computed amount of premium:

Provided that it shall not be less than rupees one thousand in any case.

Illustrations: (1)(a) If the plot under allotment is for the residential or educational or charitable purpose and measuring up to one hundred square meter the premium shall be rupee one only and annual lease rent shall be rupees one hundred.

(b) If the plot under allotment is for the purpose other than the residential or educational or charitable purpose and measuring up to fifty square meter the premium shall be rupees one thousand and annual lease rent shall be rupees one thousand.

(2) If the plot under allotment is for the residential purpose and measuring six hundred square meter and current market value of such plot is rupees ten thousand per square meter, than the total value of such plot shall be rupees sixty lakhs. In such condition the amount of premium payable on such plot shall be enumerated in the following manner, namely:-

- (i) for first two hundred square meter, one percentum of the value calculated on the basis of current market value that is rupees twenty thousand;
- (ii) up to the next three hundred square meter, two percentum of the value calculated on the basis of current market value that is rupees sixty Thousand; and
- (iii) for remaining one hundred square meter, three percentum of the value calculated on the basis of current market value that is rupees thirty thousand,

Thus the total premium payable shall be rupees one lakh ten thousand and the annual lease rent shall be five percentum of total calculated premium that is rupees five thousand five hundred. In other cases also, premium and lease rent shall be calculated in accordance with the purpose, area and current market value of land.

8. If the occupier is not willing to get allotment of land on the terms mentioned in rule 7, he shall vacate the occupied land.
9. If the lessee of land for non agricultural purpose wishes to transfer his land within ten years from the date of allotment by way of sale or gift or otherwise, except inheritance, he shall be liable to pay a transfer fee, which shall be ten percentum of the market value of such land at the time of transfer. The transfer fee shall be deposited in Government Treasury:

Provided that no transfer fee shall be charged for any subsequent transfers.

10. Subject to the provisions of section 182, every lease granted under these rules for non-agricultural purpose shall be deemed renewed at the end of every thirty years:

Provided that the lease rent shall be revised in accordance with the provisions of the Code.

11. Each and every parcel of land, which is not allotted to anyone in the notified area under these rules, shall be recorded in land record as 'Government Land'.
12. If the occupier or his family member is in possession of land in excess of his eligibility for allotment under these rules, the allotment shall not be made in his favour, unless he vacates the excess land.
13. The allotment of land under these rules shall be made in joint name of occupier and his spouse, if he is married.

By Order and in the name of the Governor or Madhya Pradesh
G. P. SHRIVASTAVA, Secy.